

कार्यालय: महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
(विद्युत एवं यांत्रिक अनुरक्षण प्रकोष्ठ)

पत्र सं०: 29फ/10(11)24/2516

लखनऊ: दिनांक 22 अगस्त, 2024.

1. समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
उ.प्र.।

2. समस्त प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/अधीक्षिका,
जिला/महिला/संयुक्त/अन्य चिकित्सालय, उ.प्र.।

विषय : उ.प्र. सौर ऊर्जा नीति-2022 के अन्तर्गत सरकारी एवं अर्द्धसरकारी भवनों पर सोलर
रूफटॉप संयंत्रों की स्थापना के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयक सौर ऊर्जा नीति-2022 से सम्बन्धित शासनादेश संख्या-आई./675855
/2024-5-6099/514/2023, दिनांक 26.06.2024 (प्रति संलग्न) के क्रम में महानिदेशालय के
कार्यालय ज्ञाप सं.-29फ/10(11)24/2382, दिनांक 29 जुलाई, 2024 (प्रति संलग्न) एवं पत्र
संख्या-29फ/10(11)24/2471, दिनांक 13 अगस्त, 2024 (प्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने
का कष्ट करें। उक्त पत्रों के द्वारा प्रदेश के सरकारी भवनों/चिकित्सा इकाइयों में रेस्को मोड के
माध्यम से रूफटॉप सोलर पावर प्लांट की स्थापना के सम्बन्ध में विस्तृत दिशा-निर्देश निर्गत
किये गये हैं।

उपरोक्त के क्रम में अवगत कराना है कि निदेशक, यूपीनेडा/नोडल एजेंसी के पत्र
संख्या-2820 यूपीनेडा/रेस्को मोड-सामान्य पत्राचार/2024-25, दिनांक 16.08.2024 (प्रति
संलग्न) के द्वारा समस्त सरकारी एवं अर्द्धसरकारी भवनों में सोलराइजेशन का कार्य सघन रूप से
एवं त्वरित गति से कराते हुये लक्ष्यों की शीघ्र पूर्ति किये जाने के उद्देश्य से यूपीनेडा की
अनुबंधित फर्मों को विभिन्न विभागों से सम्पर्क एवं समन्वय स्थापित कर व्यापक सर्वेक्षण किये
जाने, सम्बन्धित विभाग एवं भवन स्वामी से पावर परचेज अनुबन्ध हस्ताक्षरित किये जाने तथा
तदोपरान्त संयंत्रों की स्थापना कराये जाने हेतु चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में रेस्को मोड के
माध्यम से रूफटॉप सोलर पावर प्लांट की स्थापना कराये जाने हेतु मै. ओएमसी पावर प्रा.लि.,
ओ/ए-5/189, विनीत खण्ड, नियर हैनिमैन चौराहा, गोमती नगर, लखनऊ-226010, मो.
नं.- 8858888880, ई-मेल आई.डी.-arun.singh@omcpower.com को आवंटित किया
गया है।

उक्त के अतिरिक्त यह भी अवगत कराना है कि रेस्को मोड के माध्यम से रूफटॉप सोलर
पावर प्लांट की स्थापना किये जाने हेतु यूपीनेडा द्वारा चयनित फर्म मै. ओएमसी पावर प्रा.लि. ने
अपने पत्र दिनांक 21.08.2024 (प्रति संलग्न) के माध्यम से अवगत कराया है कि राजकीय
चिकित्सालयों के सर्वेक्षण के दौरान कतिपय चिकित्सालयों में स्वीकृत विद्युत भार से अधिक
विद्युत की खपत हो रही है। उक्त के दृष्टिगत अपेक्षित है कि चिकित्सालयों में हो रहे विद्युत
खपत के अनुसार उ.प्र. पावर कारपोरेशन से विद्युत भार बढ़ाये जाने सम्बन्धी आवश्यक कार्यवाही
किया जाना सुनिश्चित करें।

अतः समस्त परिधिगत अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त संदर्भित
शासनादेशों एवं परिपत्रों में उल्लिखित दिशा-निर्देशों के अनुरूप चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में

रेस्को मोड के माध्यम से रूफटॉप सोलर पावर प्लांट की स्थापना हेतु यूपीनेडा द्वारा चयनित फर्म मै. ओएमसी पावर प्रा.लि. द्वारा समस्त सरकारी भवनों/चिकित्सा इकाइयों का सर्वे कराते हुये अपनी स्पष्ट संस्तुति सहित आख्या महानिदेशालय को तत्काल उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्नक : यथोपरि।

भवदीय

(डा. बृजेश राठौर)
महानिदेशक।

पृष्ठांकन सं. : 29फ/10(11)24/

तददिनांक।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा चिकित्सा शिक्षा, उ.प्र. शासन, लखनऊ।
2. विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, चिकित्सा अनुभाग-6।
3. निदेशक, उ.प्र. नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण (यू.पी.एन.ई.डी.ए.), विभूतिखण्ड, गोमती नगर, लखनऊ को उनके उक्त संदर्भित पत्र दिनांक 16 अगस्त 2024 के क्रम में।
4. निदेशक (प्रशासन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0, स्वास्थ्य भवन, लखनऊ।
5. निदेशक (चिकित्सा उपचार), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ.प्र., लखनऊ।
6. निदेशक (सी.एच.सी.), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ.प्र., लखनऊ।
7. निदेशक (पी.एच.सी.), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ.प्र., लखनऊ।
8. वित्त नियंत्रक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ.प्र., लखनऊ।
9. निदेशक, बलरामपुर चिकित्सालय, लखनऊ, लोकबन्धु राजनरायण संयुक्त चिकित्सालय, लखनऊ, डा. एस.पी.एम. सिविल चिकित्सालय, लखनऊ, यू.एच.एम. चिकित्सालय, कानपुर नगर, मानसिक चिकित्सालय, वाराणसी/बरेली।
10. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ.प्र.।
11. समस्त सहायक अभियन्ता (विद्युत)/टेक्नोलोजिस्ट, कार्यालय मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ.प्र.।
12. श्री अरून सिंह, मे. ओएमसी पावर ओ/ए-5/189, विनीत खण्ड, नियर हैनिमैन चौराहा, गोमतीनगर, लखनऊ-226010 मो.नं.-8858888880 ई-मेल आईडी-arun.singh@omcpower.com को इस आशय से कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के समस्त सरकारी भवनों/चिकित्सा इकाइयों में रेस्को मोड के माध्यम से सोलर रूफटॉप पावर प्लांट की स्थापना किये जाने हेतु सर्वे करते हुये सर्वे रिपोर्ट सम्बन्धित परिधिगत अधिकारी की संस्तुति उपरान्त महानिदेशालय को 15 दिवस में उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।

(रवि कुमार)

अपर निदेशक (विद्युत)

कार्यालय: महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
(विद्युत एवं यांत्रिक अनुरक्षण प्रकोष्ठ)

पत्र सं०: 29फ/10(11)24/

लखनऊ: दिनांक 22 अगस्त, 2024.

1. समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
उ.प्र.।

2. समस्त प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/अधीक्षिका,
जिला/महिला/संयुक्त/अन्य चिकित्सालय, उ.प्र.।

विषय : उ.प्र. सौर ऊर्जा नीति-2022 के अन्तर्गत सरकारी एवं अर्द्धसरकारी भवनों पर सोलर
रूफटॉप संयंत्रों की स्थापना के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयक सौर ऊर्जा नीति-2022 से सम्बन्धित शासनादेश संख्या-आई./675855
/2024-5-6099/514/2023, दिनांक 26.06.2024 (प्रति संलग्न) के क्रम में महानिदेशालय के
कार्यालय ज्ञाप सं.-29फ/10(11)24/2382, दिनांक 29 जुलाई, 2024 (प्रति संलग्न) एवं पत्र
संख्या-29फ/10(11)24/2471, दिनांक 13 अगस्त, 2024 (प्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने
का कष्ट करें। उक्त पत्रों के द्वारा प्रदेश के सरकारी भवनों/चिकित्सा इकाइयों में रेस्को मोड के
माध्यम से रूफटॉप सोलर पावर प्लांट की स्थापना के सम्बन्ध में विस्तृत दिशा-निर्देश निर्गत
किये गये हैं।

उपरोक्त के क्रम में अवगत कराना है कि निदेशक, यूपीनेडा/नोडल एजेंसी के पत्र
संख्या-2820 यूपीनेडा/रेस्को मोड-सामान्य पत्राचार/2024-25, दिनांक 16.08.2024 (प्रति
संलग्न) के द्वारा समस्त सरकारी एवं अर्द्धसरकारी भवनों में सोलराइजेशन का कार्य सघन रूप से
एवं त्वरित गति से कराते हुये लक्ष्यों की शीघ्र पूर्ति किये जाने के उद्देश्य से यूपीनेडा की
अनुबन्धित फर्मों को विभिन्न विभागों से सम्पर्क एवं समन्वय स्थापित कर व्यापक सर्वेक्षण किये
जाने, सम्बन्धित विभाग एवं भवन स्वामी से पावर परचेज अनुबन्ध हस्ताक्षरित किये जाने तथा
तदोपरान्त संयंत्रों की स्थापना कराये जाने हेतु चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में रेस्को मोड के
माध्यम से रूफटॉप सोलर पावर प्लांट की स्थापना कराये जाने हेतु मै. ओएमसी पावर प्रा.लि.,
ओ/ए-5/189, विनीत खण्ड, नियर हैनिमैन चौराहा, गोमती नगर, लखनऊ-226010, मो.
नं.- 8858888880, ई-मेल आई.डी.-arun.singh@omcpower.com को आवंटित किया
गया है।

उक्त के अतिरिक्त यह भी अवगत कराना है कि रेस्को मोड के माध्यम से रूफटॉप सोलर
पावर प्लांट की स्थापना किये जाने हेतु यूपीनेडा द्वारा चयनित फर्म मै. ओएमसी पावर प्रा.लि. ने
अपने पत्र दिनांक 21.08.2024 (प्रति संलग्न) के माध्यम से अवगत कराया है कि राजकीय
चिकित्सालयों के सर्वेक्षण के दौरान कतिपय चिकित्सालयों में स्वीकृत विद्युत भार से अधिक
विद्युत की खपत हो रही है। उक्त के दृष्टिगत अपेक्षित है कि चिकित्सालयों में हो रहे विद्युत
खपत के अनुसार उ.प्र. पावर कारपोरेशन से विद्युत भार बढ़ाये जाने सम्बन्धी आवश्यक कार्यवाही
किया जाना सुनिश्चित करें।

अतः समस्त परिधिगत अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त संदर्भित
शासनादेशों एवं परिपत्रों में उल्लिखित दिशा-निर्देशों के अनुरूप चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में

रेस्को मोड के माध्यम से रूफटॉप सोलर पावर प्लांट की स्थापना हेतु यूपीनेडा द्वारा चयनित फर्म मै. ओएमसी पावर प्रा.लि. द्वारा समस्त सरकारी भवनों/चिकित्सा इकाइयों का सर्वे कराते हुये अपनी स्पष्ट संस्तुति सहित आख्या महानिदेशालय को तत्काल उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्नक : यथोपरि।

भवदीय

(डा. बृजेश राठौर)
महानिदेशक।

पृष्ठांकन सं. : 29फ/10(11)24/2516 - 12

तददिनांक।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा चिकित्सा शिक्षा, उ.प्र. शासन, लखनऊ।
2. विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, चिकित्सा अनुभाग-6।
3. निदेशक, उ.प्र. नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण (यू.पी.एन.ई.डी.ए.), विभूतिखण्ड, गोमती नगर, लखनऊ को उनके उक्त संदर्भित पत्र दिनांक 16 अगस्त 2024 के क्रम में।
4. निदेशक (प्रशासन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0, स्वास्थ्य भवन, लखनऊ।
5. निदेशक (चिकित्सा उपचार), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ.प्र., लखनऊ।
6. निदेशक (सी.एच.सी.), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ.प्र., लखनऊ।
7. निदेशक (पी.एच.सी.), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ.प्र., लखनऊ।
8. वित्त नियंत्रक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ.प्र., लखनऊ।
9. निदेशक, बलरामपुर चिकित्सालय, लखनऊ, लोकबन्धु राजनरायण संयुक्त चिकित्सालय, लखनऊ, डा. एस.पी.एम. सिविल चिकित्सालय, लखनऊ, यू.एच.एम. चिकित्सालय, कानपुर नगर, मानसिक चिकित्सालय, वाराणसी/बरेली।
10. समस्त मण्डलीय अपर.निदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ.प्र.।
11. समस्त सहायक अभियन्ता (विद्युत)/टेक्नोलोजिस्ट, कार्यालय मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ.प्र.।
12. श्री अरुन सिंह, मे. ओएमसी पावर ओ/ए-5/189, विनीत खण्ड, नियर हैनिमैन चौराहा, गोमतीनगर, लखनऊ-226010 मो.नं.-8858888880 ई-मेल आईडी-arun.singh@omcpower.com को इस आशय से कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के समस्त सरकारी भवनों/चिकित्सा इकाइयों में रेस्को मोड के माध्यम से सोलर रूफटॉप पावर प्लांट की स्थापना किये जाने हेतु सर्वे करते हुये सर्वे रिपोर्ट सम्बन्धित परिधिगत अधिकारी की संस्तुति उपरान्त महानिदेशालय को 15 दिवस में उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।



(रवि कुमार)
अपर निदेशक (विद्युत)

महत्वपूर्ण

प्रेषक,

शिव सहज अवस्थी,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

चिकित्सा अनुभाग-6

लखनऊ : दिनांक : 27/06/2024

विषय:- चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के सरकारी भवनों के सोलरलाइजेशन हेतु जिला स्तर एवं राज्य स्तर पर नोडल अधिकारी नामित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक निदेशक, उत्तर प्रदेश नवीन और नवीनकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी (यू0पी0एन0ई0डी0ए0), लखनऊ के पत्र संख्या-1148/यू0पी0एन0ई0डी0ए0-अंतराल-2023-24, दिनांक 07.06.2024 (छायाप्रति संलग्न) का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के सरकारी भवनों के सोलरलाइजेशन हेतु जिला स्तर एवं राज्य स्तर पर नोडल अधिकारी नामित किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2. अवगत कराया गया है कि जिला स्तर एवं राज्य स्तर पर नामित नोडल अधिकारियों के कार्य/उत्तरदायित्व निम्नवत् है :-

District Nodal Officer:

- Upload all relevant data regarding the solarization of their department's government building/s onto the portal, ensuring accuracy and completeness.
- Serve as the Single point of contact between their district administration and UPNEDA regarding all matters concerning the solarization of government buildings.
- Coordinate with all pertinent departments within the district to ensure seamless execution of solarization projects in government buildings, fostering inter-departmental cooperation.
- Supervise the progress of solarization projects in the district, including monitoring significant milestones, timelines, and budget allocations.
- Ensure adherence to the guidelines and directives established by UPERC, UPNEDA and the State Government regarding the solarization initiative.
- Prepare and submit regular progress reports on the status of solarization projects in the district to the State Nodal Officer at UPNEDA.

Address any challenges or issues that may arise during the implementation of solarization projects in the district and collaborate with UPNEDA to find appropriate solutions.

State Nodal Officers:

- Validate all uploaded data pertaining to the solarization of their department's government building/s on the portal by the district officer.
- Provide supervision and guidance to all district nodal officers appointed for the solarization initiative throughout the state.
- Facilitate the allocation of necessary resources to support the implementation of solarization projects in districts.
- Update the portal to monitor and evaluate the progress of solarization projects.
- Compile and analyze data on the overall progress of solarization initiatives across the state and prepare comprehensive reports for submission to higher authorities and stakeholders as necessary.
- Operate the dedicated portal for the solarization of government buildings.
- Actively address any challenges or issues encountered during the implementation of solarization projects, collaborating closely with UPNEDA and relevant stakeholders to ensure effective solutions are achieved.

Please note that UPNEDA stands ready to provide any necessary guidance, assistance, or resources required to support the designated Nodal Officers in discharging their duties effectively.

3. सम्यक् विचारोपरान्त इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के सरकारी भवनों के सोलरलाइजेशन हेतु राज्य स्तर पर अपर निदेशक (त्रिभुज), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ एवं जिला स्तर पर सम्बन्धित ननपद के मुख्य चिकित्साधिकारी को नोडल अधिकारी नामित किया जाता है। कृपया तदनुसार अग्रेतर आवश्यक कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

संलग्नक :- यथोक्त।

भवदीय,

Signed by

(शिव सहज अवस्थी) Shri Awasthi

विशेष सचिव

Date: 25-06-2024 14:51:41

Co-2024/2/443

महानिदेशक चिकित्सा

पत्रांक 3605

दिनांक 27/06/2024

अपर निदेशक (त्रिभुज)

स्टाफ सचिव

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ

AE(S)

01/20/6/24

संख्या एवं दिनांक यथोक्त।

प्रतिलिपि लिम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निदेशक, उत्तर प्रदेश नवीन और नवीनकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी (यू0पी0एन0ई0डी0ए0), लखनऊ को उनके पत्र दिनांक 07.06.2024 के क्रम में।
2. मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
3. महानिदेशक, परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
4. निदेशक (प्रशासन/चिकित्सा उपचार/सी0एच0सी0/पी0एच0सी0/नियोजन एवं वनद), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
5. वित्त नियन्त्रक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
6. अधीक्षण अभियन्ता, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
7. अपर निदेशक (विद्युत), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, उत्तर प्रदेश लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि प्रकरण में राज्य स्तरीय नोडल अधिकारी के रूप में निर्धारित अपने कार्य/उत्तरदायित्वों का निर्वहन करना सुनिश्चित करें।
8. समस्त अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश।
9. समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी, उत्तर प्रदेश को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि प्रकरण में जनपद स्तरीय नोडल अधिकारी के रूप में निर्धारित अपने कार्य/उत्तरदायित्वों का निर्वहन करना सुनिश्चित करें।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(शिव सहाय उदवस्थी)
विशेष सचिव।

कार्यालय : महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश, लखनऊ

(विद्युत एवं यांत्रिक अनुरक्षण प्रकोष्ठ)

पत्रांक : 29फ/10(11)24/2382

लखनऊ, दिनांक 29 जुलाई, 2024

--: कार्यालय ज्ञाप :-

सौर ऊर्जा नीति 2022 के दृष्टिगत शासनादेश संख्या-आई./675855/2024-5-6099/514/2023 दिनांक 26.06.2024 (प्रति संलग्न) के माध्यम से निदेशक, उ.प्र. नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेन्सी (यू.पी.एन.ई.डी.ए.) लखनऊ के संलग्न पत्र संख्या-1148/यू.पी.एन.ई.डी.ए./जनरल-2023-24 दिनांक 07.06.2024 (प्रति संलग्न) के द्वारा जिला स्तर एवं राज्य स्तर पर नोडल अधिकारी नामित किये जाने का अनुरोध किया गया है एवं उपरोक्त संदर्भित पत्र दिनांक 07.06.2024 के द्वारा जिला स्तर एवं राज्य स्तर पर नामित नोडल अधिकारियों के कार्य/उत्तरदायित्व से अवगत कराया गया है। उक्त के क्रम में उपरोक्त संदर्भित शासनादेश दिनांक 26.06.2024 के द्वारा चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के सरकारी भवनों के सोलराइजेशन हेतु राज्य स्तर पर अपर निदेशक (विद्युत), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ.प्र., लखनऊ एवं जिला स्तर पर सम्बन्धित जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी को नोडल अधिकारी नामित किया गया है एवं जिला स्तर एवं राज्य स्तर पर नोडल अधिकारियों के कार्य/उत्तरदायित्व निम्नवत् निर्धारित किया गया है :-

District Nodal Officer :

1. Upload all relevant data regarding the solarization of their department's government building/s onto the portal, ensuring accuracy and completeness.
2. Serve as the Single point of contact between their district administration and UPNEDA regarding all matters concerning the solarization of government buildings.
3. Coordinate with all pertinent departments within the district to ensure seamless execution of solarization projects in government buildings, fostering inter-departmental cooperation.
4. Supervise the progress of solarization projects in the district, including monitoring significant milestones, timelines, and budget allocations.
5. Ensure adherence to the guidelines and directives established by UPERC, UPNEDA and the State Government regarding the solarization initiative.
6. Prepare and submit regular progress reports on the status of solarization projects in the district to the State Nodal Officer and UPNEDA

Address any challenges or issues that may arise during the implementation of solarization projects in the district and collaborate with UPNEDA to find appropriate solutions.

State Nodal Officer :

1. Validate all uploaded data pertaining to the solarization of their department's government building/s on the portal by the district officer.
2. Provide supervision and guidance to all district nodal officers appointed for the solarization initiative throughout the state.
3. Facilitate the allocation of necessary resources to support the implementation of solarization projects in districts.
4. Update the portal to monitor and evaluate the progress of solarization projects.
5. Compile and analyze data on the overall progress of solarization initiatives across the state and prepare comprehensive reports for submission to higher authorities and stakeholders as necessary.
6. Operate the dedicated portal for the solarization of government buildings.
7. Actively address any challenges or issues encountered during the implementation of solarization projects, collaborating closely with UPNEDA and relevant stakeholders to ensure effective solutions are achieved.

Please note that UPNEDA stands ready to provide any necessary guidance, assistance, or resources required to support the designated Nodal Officers in discharging their duties effectively.

उक्त के अतिरिक्त शासनादेश संख्या-आई./703141/2024-5-6099/514/2023- दिनांक 27.07.2024 (प्रति संलग्न) के माध्यम से विभाग से सम्बन्धित सरकारी/अर्द्ध सरकारी भवनों पर रेस्को मोड में सोलर रूफटॉप संयंत्रों की स्थापना कराने हेतु पावर परचेज की कार्यवाही को आगे बढ़ाने के लिये उ.प्र. नवीन और नवीनकरणीय ऊर्जा विकास एजेन्सी (यू.पी.एन.ई.डी.ए.) लखनऊ द्वारा उपलब्ध कराये गये उक्त पी.पी.ए. (पावर परचेजिंग एग्रीमेन्ट) एवं दिशा-निर्देशों को प्रदेश के समस्त प्रमुख चिकित्सा अधीक्षकों/मुख्य अधीक्षकों को परिचालित करते हुये उक्तानुसार कार्यवाही कराने के निर्देश निर्गत किये गये हैं।

उक्त के अतिरिक्त यह भी अवगत कराना है कि संदर्भित शासनादेश दिनांक 27.07.2024 के साथ संलग्न उ.प्र. नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण (यू.पी.नेडा) द्वारा पत्र

संख्या-1621/यू.पी. नेडा/रेस्को मोड-सामान्य/2024 दिनांक 29.06.2024 के माध्यम से अवगत कराया गया है कि यू.पी. नेडा नोडल एजेन्सी के रूप में कार्यरत है। यू.पी. नेडा द्वारा रेस्को मोड के माध्यम से 500 मे.वा. की निविदा पूर्ण कर ली गयी है। रेस्को मोड के अन्तर्गत सोलर रूफटॉप संयंत्र की स्थापना हेतु महत्वपूर्ण बिन्दु निम्नलिखित हैं :-

1. रेस्को मोड में विभाग को सोलर रूफटॉप अपने सरकारी भवन पर लगाने में कोई वित्तीय व्यय वहन नहीं करना पड़ेगा। इसका सम्पूर्ण कैपिटल व्यय यूपीनेडा द्वारा इम्पैनल्ड वेण्डर द्वारा वहन किया जाएगा।
2. स्थापित सोलर रूफटॉप का ऑपरेशन मेन्टीनेन्स 25 वर्ष तक इम्पैनल्ड वेण्डर द्वारा किया जाएगा।
3. विभाग को अपनी सरकारी बिल्डिंग की छत 25 वर्ष तक इस कार्य हेतु देना होगा।
4. सरकारी बिल्डिंग का न्यूनतम लोड 25 कि.वा. एवं अधिकतम लोड 2000 कि.वा. होना चाहिए।
5. रेस्को मोड में सोलर रूफटॉप से उत्पादित विद्युत का टैरिफ एवं उपभोग की हुई विद्युत के आधार पर मासिक बिल रेस्को डेवलपर पर देय होगा। इस हेतु विभाग द्वारा डेवलपर के साथ पावर परचेज एग्रीमेन्ट निष्पादित करना होगा। सुलभ संदर्भ हेतु पावर परचेज एग्रीमेन्ट का ड्राफ्ट संलग्न है।
6. यूपीनेडा द्वारा 500 मे.वा. की निविदा में निम्न टैरिफ डिस्कवर किया गया है :-
 1. 25 कि.वा. से 200 कि.वा. तक -रु. 4.90 प्रति यूनिट
 2. 200 कि.वा. से अधिक 2000 कि.वा. तक -रु. 4.85 प्रति यूनिट
7. उपरोक्त टैरिफ विद्युत विभाग के टैरिफ से काफी कम है। विद्युत विभाग द्वारा सरकारी भवनों में आपूर्ति की गयी विद्युत की दर लगभग रु. 8 से 8.5 प्रति यूनिट है। अतः सोलर रूफटॉप रेस्को पर लगाना विभागों के लिए वित्तीय बचत के साथ साथ पर्यावरण सुरक्षा की सुनिश्चित करता है।
8. समस्त सरकारी एवं अर्द्धसरकारी भवनों पर नेट मीटरिंग की सुविधा अनुमन्य है, जिससे अधिक सौर बिजली उत्पादन होने की दशा में इसे ग्रिड में संग्रहित/बेची जा सकती है, जिसको बिजली विभाग क्रय करेगा। नेट मीटरिंग के अन्तर्गत सायं एवं रात में विभाग द्वारा उपयोग की गयी बिजली का दिन में उत्पादित एवं ग्रिड में संग्रहित/बेची गयी सौर बिजली का यूनिट आपस में एडजस्ट होंगे, जिससे विभाग को बिजली बिल में काफी कमी आएगी।
9. यूपीनेडा द्वारा बिड की प्रक्रिया में निम्नलिखित वेण्डरों को इम्पैनल किया गया है। विभाग इनमें से किसी भी वेण्डर से सोलर रूफटॉप की स्थापना रेस्को के माध्यम से करवा सकता है।

कैटेगिरी-1 : 25 से 200 कि.वा. तक

क्र.सं.	फर्म का नाम	कॉन्टेक्ट पर्सन	मो.नं. एवं ई-मेल
1	मे. कोसुके सर्विस प्रा.लि., गोमती नगर, लखनऊ-226010	श्रीमती माधवी सिंह	9792971888 madhvisingh@gmail.com
2	मे. एनआरजीवाई 6, सी.-80, शिवाजी पार्क, बेस्ट पंजाबी बाग, नई दिल्ली-110026	श्री आशीष गिरिधर	9711000001 nrgy6pvt@gmail.com
3	मे. लॉर्ड मार्क इण्डस्ट्रीज, 13/226, इन्दिरा नगर, लखनऊ-226016	श्री सच्चिदानन्द उपाध्याय	9920227444 offgrid@lordmark.com
4	मे. केएलके वेन्चर्स प्रा.लि., ए-52, सेक्टर-58, नोएडा-201301	श्री अक्षत जैन	9811046241 jain.akshat@klkindia.com
5	मे. जीपी एडिबेल फूड्स इण्डिया लि., सी.एफ., 3/8, साईट-3, पनकी, कानपुर-208022	श्री राहुल गुप्ता	7007689415 infogpediblefoods.in

कैटेगिरी-2 : 200 से अधिक एवं 2000 कि.वा. तक

क्र.सं.	फर्म का नाम	कॉन्टेक्ट पर्सन	मो.नं. एवं ई-मेल
1	मे. एचएफएम सोलर, 285/192 एस.वी.एफ.एम. कम्पाउण्ड इण्डस्ट्रियल एरिया, ऐशबाग, लखनऊ-226004	श्री ओ.पी. जयपुरिया	9415006375 solarpower@hfmgroup.net
2	मे. ओएमसी पावर, ओ/ए-5/189, विनीत खण्ड, नियर हनिमैन चौराहा, गोमती नगर, लखनऊ-226010	श्री अरुन सिंह	8858888880 arun.singh@omcpower.com

3	मे. एनआरजीवाई 6, सी.-80, शिवाजी पार्क, बेस्ट पंजाबी बाग, नई दिल्ली-110026	श्री आशीष गिरिधर	9711000001 nrgy6pvt@gmail.com
4	मे. कोसुके सर्विस प्रा.लि., गोमती नगर, लखनऊ-226010	श्रीमती माधवी सिंह	9792971888 madhvisingh@gmail.com
5	मे. केएलके वेन्चर्स प्रा.लि., ए-52, सेक्टर-58, नोएडा-201301	श्री अक्षत जैन	9811046241 jain.akshat@klkindia.com
6	मे. लॉर्ड मार्क इण्डस्ट्रीज, 13/226, इन्दिरा नगर, लखनऊ-226016	श्री सच्चिदानन्द उपाध्याय	9920227444 offgrid@lordmark.com
7	मे. जीपी एडिबल फूड्स इण्डिया लि., सी.एफ., 3/8, साईट-3, पनकी, कानपुर-208022	श्री राहुल गुप्ता	7007689415 infogpediblefood.in

10. समस्त सरकारी भवनों पर स्थापित सोलर रूफटॉप संयंत्रों का मासिक सोलर बिल के भुगतान हेतु वित्त विभाग द्वारा विद्युत देय के भाँति सेन्ट्रलाइज पेमेन्ट की व्यवस्था हेतु शासनादेश संख्या-1/2024/ई-10-1/669845/दस-2024-10-10099/22/2022 दि. 21.06.2024 (प्रति संलग्न) आदेश जारी किया गया है। इस व्यवस्था के अनुसार विभाग की समस्त भवनों का मासिक सोलर बिल का भुगतान विभाग द्वारा केन्द्रीकृत रूप से किया जाएगा।

11. प्रत्येक विभाग मासिक आधार पर समय से भुगतान करेगा। इसके साथ ही 04 माह का लेटर ऑफ क्रेडिट प्रत्येक भवन पर स्थापित सौर ऊर्जा संयंत्र के सापेक्ष भी देनी होगी, जिससे समय से भुगतान न होने पर रेस्को डेवलपर को भुगतान में समस्या न हो।

उपरोक्त के क्रम में उक्त कार्य को पूर्ण किये जाने हेतु दिशा-निर्देश निम्नवत् हैं :-

1. विभाग की समस्त सरकारी भवनों पर स्थापित सोलर रूफटॉप संयंत्रों का मासिक सोलर बिल के भुगतान हेतु वित्त विभाग द्वारा विद्युत देय के भाँति सेन्ट्रलाइज पेमेन्ट की व्यवस्था के दृष्टिगत विभाग द्वारा डेवलपर के साथ पावर परचेज एग्रीमेन्ट मुख्यालय स्तर पर किया जायेगा।
2. समस्त परिधिगत अधिकारियों को उपरोक्तानुसार सरकारी भवनों पर सोलर रूफटॉप संयंत्रों के स्थापना हेतु विभाग को अपनी सरकारी भवनों/चिकित्सा इकाईयों की छत 25 वर्ष तक उक्त कार्य हेतु दिया जायेगा।
3. जिला स्तर पर नोडल अधिकारी अर्थात् मुख्य चिकित्सा अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि डेवलपर द्वारा कार्य गुणवत्तापरक एवं समय से पूर्ण कर लिया जाय।
4. समस्त परिधिगत अधिकारियों द्वारा डेवलपर को यथा आवश्यक सहयोग प्रदान किया जायेगा।
5. जनपद स्तर पर सम्बन्धित जनपद के जिला परियोजना अधिकारी, यू.पी. नेडा का यथा आवश्यक सहयोग भी प्राप्त किया जायेगा।

अतः उपरोक्त के दृष्टिगत समस्त परिधिगत अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि विभाग की सरकारी भवनों/चिकित्सा इकाईयों पर सोलर रूफटॉप की स्थापना रेस्को के माध्यम से कराया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्नक : यथोपरि।

(डॉ० बृजेश राठौर)
महानिदेशक

पृष्ठांकन : 29फ/10(11)24/

तददिनांक।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ.प्र. शासन।
2. विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, चिकित्सा अनुभाग-6।
3. प्रबन्ध निदेशक, उ.प्र. पावर कारपोरेशन लि., शक्ति भवन, लखनऊ।
4. निदेशक, उ.प्र. नवीन और नवीनकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी (यू.पी.एन.ई.डी.ए.), विभूतिखण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
5. निदेशक (प्रशासन/चिकित्सा उपचार/सी.एच.सी.), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ.प्र., लखनऊ।

6. निदेशक, बलरामपुर चिकित्सालय लखनऊ, लोकबन्धु राजनरायण संयुक्त चिकित्सालय लखनऊ, यू.एच.एम. चिकित्सालय कानपुर, मानसिक चिकित्सालय बरेली एवं मानसिक चिकित्सालय वाराणसी।
7. निदेशक, वाणिज्य, उ.प्र. पावर कारपोरेशन लि., शक्ति भवन, लखनऊ।
8. वित्त नियंत्रक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ.प्र., लखनऊ।
9. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ.प्र.।
10. समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी/नोडल अधिकारी, उ.प्र.।
11. समस्त प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला/महिला/संयुक्त/अन्य चिकित्सालय, उ.प्र.।
12. सहायक अभियन्ता (विद्युत)/टेक्नोलोजिस्ट, कार्यालय मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ.प्र.।
13. श्रीमती माधवी सिंह, मे. कोसुके सर्विस प्रा.लि., गोमती नगर, लखनऊ-226010 मो.नं.-9792971888 ई-मेल आईडी-madhvisingh@gmail.com
14. श्री आशीष गिरिधर, मे. एनआरजीवाई 6, सी.-80, शिवाजी पार्क, बेस्ट पंजाबी बाग, नई दिल्ली-110026 मो.नं.-9711000001 ई-मेल आईडी-nrgy6pvt@gmail.com
15. श्री सच्चिदानन्द उपाध्याय, मे. लॉर्ड मार्क इण्डस्ट्रीज 13/226, इन्दिरा नगर, लखनऊ-226016 मो. नं.-9920227444 ई-मेल आईडी-offgrid@lordmark.com
16. श्री अक्षत जैन, मे. केएलके वेन्चर्स प्रा.लि., ए-52, सेक्टर-58, नोएडा-201301 मो.नं.-9811046241 ई-मेल आईडी-jain.akshat@klkindia.com
17. श्री राहुल गुप्ता, मे. जीपी एडिबेल फूड्स इण्डिया लि., सी.एफ., 3/8, साईट-3, पनकी, कानपुर-208022 मो.नं.-7007689415 ई-मेल आईडी-infogpediblefoods.in
18. श्री ओ.पी. जयपुरिया, मे. एचएफएम सोलर 285/192 एस.वी.एफ.एम. कम्पाउण्ड इण्डस्ट्रियलएरिया, ऐशबाग, लखनऊ-226004 मो.नं.-9415006375 ई-मेल आईडी-solarpower@hfmgroup.net
19. श्री अरून सिंह, मे. ओएमसी पावर ओ/ए-5/189, विनीत खण्ड, नियर हनिमैन चौराहा, गोमती नगर, लखनऊ-226010 मो.नं.-8858888880 ई-मेल आईडी-arun.singh@omcpower.com

(रवि कुमार)
अपर निदेशक (विद्युत)

प्रदेश के राजकीय चिकित्सालयों में रेस्को मोड के माध्यम से रूफटॉफ सोलर पावर प्लांट की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में विचार विमर्श किये जाने सम्बन्धी बैठक दिनांक 06.08.2024 का कार्यवृत्त :-

महानिदेशालय के कार्यालय ज्ञाप संख्या-29फ/10(11)24/2392, दिनांक 30 जुलाई, 2024 द्वारा प्रदेश के 10 राजकीय चिकित्सालयों में रेस्को मोड के माध्यम से रूफटॉफ सोलर पावर प्लांट की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में विचार विमर्श किये जाने हेतु अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में दिनांक 07.06.2024 को अपराह्न 12.00 बजे बैठक आहूत की गयी। उक्त बैठक में प्रतिभाग किये गये अधिकारियों एवं रेस्को डेवलपर्स/प्रतिनिधियों की उपस्थिति संलग्न है।

सर्वप्रथम अपर निदेशक (विद्युत)/राज्य नोडल अधिकारी (सोलराइजेशन) द्वारा अवगत कराया गया कि शासनादेश दिनांक 26.06.2024 के माध्यम से चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उ.प्र. के सरकारी भवनों के सोलराइजेशन हेतु राज्य स्तर पर अपर निदेशक (विद्युत), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ.प्र. लखनऊ एवं जिला स्तर पर सम्बन्धित जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी को नोडल अधिकारी नामित किया गया है। तदक्रम में राज्य स्तर एवं जिला स्तर के नोडल अधिकारियों के मध्य निर्धारित कार्य/उत्तरदायित्वों के सम्बन्ध में भी अपर निदेशक (विद्युत)/राज्य नोडल अधिकारी (सोलराइजेशन) द्वारा बैठक में उपस्थित अधिकारियों को विस्तृत रूप से अवगत कराया गया। यह भी अवगत कराया गया कि यूपीनेडा द्वारा चयनित रेस्को डेवलपर्स में से मात्र दो डेवलपर क्रमशः मेसर्स ओएमसी पावर सोलर डेवलपर, लखनऊ के प्रतिनिधि श्री अरुण सिंह एवं मेसर्स कोसुके सर्विस प्रा.लि., गोमतीनगर, लखनऊ के प्रतिनिधि श्री आयुष पाल उक्त बैठक में उपस्थित हुये। एक अन्य डेवलपर मेसर्स जीपी एडिबल फूड्स इण्डिया लि., कानपुर के प्रतिनिधि श्री राहुल गुप्ता बैठक समाप्त होने के पश्चात उपस्थित हुये।

महानिदेशालय के कार्यालय ज्ञाप संख्या-29फ/10(11)24/2382, दिनांक 29 जुलाई, 2024 द्वारा सौर ऊर्जा नीति 2022 के दृष्टिगत निर्गत विभिन्न शासनादेशों में निहित व्यवस्था का उल्लेख करते हुये चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के सरकारी भवनों के सोलराइजेशन के सम्बन्ध में निर्गत विस्तृत दिशा-निर्देश की प्रति उपरोक्त बैठक में उपस्थित सम्बन्धित चिकित्सालयों के मुख्य चिकित्सा अधीक्षकों/अधीक्षिकाओं एवं उनके प्रतिनिधियों को उपलब्ध कराया गया। तदक्रम में अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में बैठक प्रारम्भ की गयी। उक्त बैठक में निम्नवत् निर्देश दिये गये:-

1. बैठक में उपस्थित चयनित 10 राजकीय चिकित्सालयों क्रमशः बलरामपुर चिकित्सालय, लखनऊ, लोकबन्धु राजनरायण संयुक्त चिकित्सालय, लखनऊ, पं. दीन दयाल संयुक्त चिकित्सालय, वाराणसी/अलीगढ़, टी.बी. सप्रू चिकित्सालय, प्रयागराज, जिला चिकित्सालय, गोरखपुर/मुरादाबाद/मेरठ/बस्ती/बाराबंकी के प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षकों द्वारा रूफटॉफ सोलर पावर प्लांट की स्थापना से सम्बन्धित की गयी पृच्छाओं/जिज्ञासाओं का निराकरण अपर निदेशक (विद्युत)/राज्य नोडल अधिकारी (सोलराइजेशन) द्वारा किया गया। तदक्रम में निर्देशित किया गया कि भविष्य में रूफटॉफ सोलर पावर प्लांट की स्थापना से सम्बन्धित समस्याओं का निराकरण अपर निदेशक (विद्युत)/राज्य नोडल अधिकारी (सोलराइजेशन) से पत्राचार/व्यक्तिगत सम्पर्क स्थापित करते हुये कराया जाये।
2. बैठक में उपस्थित परिधिगत अधिकारियों द्वारा की गयी पृच्छा के क्रम में रूफटॉफ सोलर पावर प्लांट की स्थापना के नोडल एजेंसी यूपीनेडा के प्रतिनिधि श्री अजय कुमार, वरिष्ठ परियोजना अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व राज्य नोडल अधिकारी, जिला नोडल अधिकारी, जिला परियोजना अधिकारी, नेडा एवं सम्बन्धित चिकित्सालयों के नियंत्रक अधिकारी से समन्वय स्थापित कर रूफटॉफ सोलर पावर प्लांट की स्थापना में आ रही समस्याओं का निराकरण करते हुये कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा।
3. चयनित 10 चिकित्सालयों में सम्मिलित पं. दीन दयाल उपाध्याय चिकित्सालय, वाराणसी के प्रतिनिधि डा. प्रेम प्रकाश द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त चिकित्सालय में रूफटॉफ सोलर पावर प्लांट स्थापित किये जाने सम्बन्धी अनुबन्ध मेसर्स पुरुषोत्तम संस सोलर प्रा.लि., दिल्ली से दिनांक 01 फरवरी, 2024 को किया जा चुका है। तदक्रम में उक्त चिकित्सालय के प्रतिनिधि डा. प्रेम

प्रकाश को निर्देशित किया गया कि उक्त किये गये अनुबन्ध से सम्बन्धित समस्त अभिलेख तत्काल अपर निदेशक(विद्युत)/राज्य नोडल अधिकारी (सोलराइजेशन) को उपलब्ध कराया जाये एवं भविष्य किये जाने वाले कार्यों के सम्बन्ध में समय समय पर राज्य नोडल अधिकारी (सोलराइजेशन) से परामर्श प्राप्त किया जाये।

4. तदक्रम में अपर निदेशक (विद्युत)/राज्य नोडल अधिकारी (सोलराइजेशन) को निर्देशित किया गया कि पं. दीन दयाल उपाध्याय चिकित्सालय, वाराणसी के स्थान पर किसी अन्य चिकित्सालय को रेस्को मोड के माध्यम से रूफटॉफ सोलर पावर प्लांट की स्थापना हेतु चयन कर लिया जाये। उक्त के क्रम में अपर निदेशक (विद्युत)/राज्य नोडल अधिकारी (सोलराइजेशन) द्वारा राजकीय जिला संयुक्त चिकित्सालय, गौतमबुद्धनगर का चयन किये जाने का सुझाव दिया गया। उक्त सुझाव पर सहमति व्यक्त करते हुये राजकीय जिला संयुक्त चिकित्सालय, गौतमबुद्धनगर का चयन किया गया।
5. बलरामपुर चिकित्सालय, लखनऊ के प्रतिनिधि डा. अरविन्द प्रसाद द्वारा अवगत कराया गया कि चिकित्सालय में पूर्व से स्थापित 150 किलोवाट का सोलर पैनल वर्तमान में अक्रियाशील है। तदक्रम में अपर निदेशक (विद्युत)/राज्य नोडल अधिकारी (सोलराइजेशन) को निर्देशित किया गया कि उक्त सोलर पैनल का परीक्षण कराते हुये नियमानुसार अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित किया जाये।
6. टी.बी. सपू चिकित्सालय, प्रयागराज की मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डा. भावना शर्मा द्वारा की गयी पृच्छा के क्रम में उपस्थित समस्त परिधिगत अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि जिन चिकित्सालयों का भवन नवनिर्मित है, उन भवनों का लोड कैपेसिटी का आकलन करते हुये भविष्य में उन भवनों के विस्तार किये जाने के दृष्टिगत चिकित्सालय में रूफटॉफ सोलर पावर प्लांट स्थापित कराया जाये।
7. यह भी निर्देशित किया गया कि डेवलपर द्वारा चिकित्सालय में सर्वे के समय सम्बन्धित चिकित्सालय के प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक के प्रतिनिधि उपस्थित रहेंगे एवं मण्डल के सहायक अभियन्ता (विद्युत)/टेक्नोलॉजिस्ट द्वारा यथावश्यक सहयोग प्रदान किया जायेगा। सम्बन्धित डेवलपर द्वारा सर्वे किये जाने के उपरान्त सम्बन्धित चिकित्सालय के प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक की सुस्पष्ट आख्या/संस्तुति एवं सम्बन्धित डेवलपर से कार्य कराये जाने हेतु सहमति सहित समुचित प्रस्ताव सम्बन्धित जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी/जनपदीय नोडल अधिकारी(सोलराइजेशन) द्वारा प्रतिहस्ताक्षरोपरान्त अपर निदेशक (विद्युत)/राज्य नोडल अधिकारी (सोलराइजेशन) को उपलब्ध कराया जायेगा। उक्त सर्वे रिपोर्ट के परीक्षणोपरान्त अपर निदेशक (विद्युत)/राज्य नोडल अधिकारी द्वारा Power Purchase Agreement (PPA) किये जाने हेतु अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा। Power Purchase Agreement (PPA) किये जाने के उपरान्त अपर निदेशक (विद्युत)/राज्य नोडल अधिकारी (सोलराइजेशन) द्वारा सम्बन्धित डेवलपर को कार्यादेश निर्गत किया जायेगा। कार्यादेश निर्गत किये जाने के उपरान्त कार्यों से सम्बन्धित आवश्यक दिशा-निर्देश भी अपर निदेशक (विद्युत)/राज्य नोडल अधिकारी (सोलराइजेशन) द्वारा निर्गत किया जायेगा।
8. यह भी निर्देशित किया गया कि कार्यवृत्त निर्गत होने के पश्चात सम्बन्धित डेवलपर द्वारा उपरोक्त बिन्दु संख्या-7 में उल्लिखित दिशा-निर्देश के अनुसार चिकित्सालय का सर्वे कराकर सर्वे रिपोर्ट समस्त औपचारिकताओं को पूर्ण करने के उपरान्त अपर निदेशक (विद्युत)/राज्य नोडल अधिकारी को विलम्बतम एक सप्ताह में प्रस्तुत किया जायेगा।
9. उक्त के अतिरिक्त यह भी निर्देशित किया गया कि प्रदेश के अन्य चिकित्सा इकाइयों में भी रेस्को मोड के माध्यम से रूफटॉफ सोलर पावर प्लांट की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में तत्काल अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित किया जाये।

(डा. बृजेश राठौर)
महानिदेशक।

कार्यालय: महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
(विद्युत एवं यांत्रिक अनुरक्षण प्रकोष्ठ)

पत्र सं०: 29फ/10(11)24/2471

लखनऊ: दिनांक 13 अगस्त, 2024.

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ.प्र. शासन, लखनऊ।
2. विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, चिकित्सा अनुभाग-6.
3. निदेशक, उ.प्र. नवीन और नवीनकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी (यू.पी.एन.ई.डी.ए.), विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ।
4. स्टाफ आफिसर, महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ.प्र., लखनऊ।
5. निदेशक (चिकित्सा उपचार), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ.प्र., लखनऊ।
6. वित्त नियंत्रक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ.प्र., लखनऊ।
7. निदेशक, बलरामपुर चिकित्सालय, लखनऊ, लोकबन्धु राजनरायण संयुक्त चिकित्सालय, लखनऊ।
8. अपर निदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, वाराणसी/अलीगढ़/प्रयागराज/बस्ती/गोरखपुर/मुरादाबाद/मेरठ/अयोध्या।
9. प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, पं. दीन दयाल संयुक्त चिकित्सालय, वाराणसी/अलीगढ़, टी.बी. सप्रू चिकित्सालय, प्रयागराज, जिला चिकित्सालय, गोरखपुर/मुरादाबाद/मेरठ/बस्ती/बाराबंकी/गौतमबुद्धनगर।
10. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, लखनऊ/वाराणसी/अलीगढ़/प्रयागराज/मेरठ/गोरखपुर/बस्ती/मुरादाबाद/अलीगढ़/बाराबंकी/गौतमबुद्धनगर।
11. सहायक अभियन्ता (विद्युत)/टेक्नोलोजिस्ट, कार्यालय मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, वाराणसी/अलीगढ़/प्रयागराज/गोरखपुर/मुरादाबाद/मेरठ/बस्ती/अयोध्या।
12. श्री अरुण सिंह, मेसर्स. ओएमसी पावर ओ/ए-5/189, विनीत खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-226010 मो.नं.-8858888880 ई-मेल आईडी- arun.singh@omcpower.com
13. श्रीमती माधवी सिंह, मे. कोसुके सर्विस प्रा.लि., गोमती नगर, लखनऊ-226010 मो.नं.-9792971888 ई-मेल आईडी-madhvisingh@gmail.com
14. श्री राहुल गुप्ता, मेसर्स जीपी एडिबेल फूड्स इण्डिया लि., सी.एफ., 3/8, साईट-3, पनकी, कानपुर-208022 मो.नं.-7007689415 ई-मेल आईडी-infogpediblefoods.in
15. श्री आशीष गिरिधर, मे. एनआरजीवाई 6, सी.-80, शिवाजी पार्क, बेस्ट पंजाबी बाग, नई दिल्ली-110026 मो.नं.-9711000001 ई-मेल आईडी-nrgy6pvt@gmail.com
16. श्री सच्चिदानन्द उपाध्याय, मे. लॉर्ड मार्क इण्डस्ट्रीज 13/226, इन्दिरा नगर, लखनऊ-226016 मो.नं.-9920227444 ई-मेल आईडी-offgrid@lordmark.com
17. श्री अक्षत जैन, मे. केएलके वेन्चर्स प्रा.लि., ए-52, सेक्टर-58, नोएडा-201301 मो.नं.-9811046241 ई-मेल आईडी-jain.akshat@klkindia.com
18. श्री ओ.पी. जयपुरिया, मे. एचएफएम सोलर 285/192 एस.वी.एफ.एम. कम्पाउण्ड इण्डस्ट्रियलएरिया, ऐशबाग, लखनऊ-226004 मो.नं.-9415006375 ई-मेल आईडी-solarpower@hfmgroup.net



(रवि कुमार)

अपर निदेशक (विद्युत)